# झारखण्ड विधान सभा

## अल्प सूचित प्रश्नों की सूची

**पंचम झारखण्ड विधान-सभा**
**अष्टम (बजट) सत्र**
**वर्ग-2**

01 चैत्र, 1944(श0)

निम्नलिखित अल्प-सूचित प्रश्न, मंगलवार, दिनांक-.....को
22 मार्च, 2022 (ई0)

झारखण्ड विधान सभा के आदेश-पत्र पर अंकित रहेंगे।

| क्रमांक | विभागों को भेजी गई सां0 संख्या | सदस्यों का नाम | संक्षिप्त विषय | संबंधित विभाग | विभागों को भेजी गई तिथि |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| 'क' | 162. अ0सू0-15 | श्री गिरल पुरती | आवासीय विद्यालय की स्थापना | स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता | 27.02.22 |
| 'ख' | 163. अ0सू0-19 | डॉ0 नीरा यादव | राशि उपलब्ध कराना | ,, | 27.02.22 |
| | 177. अ0सू0-40 | श्री सरयू राय | अवधि विस्तार देना | खान एवं भूतत्व | 12.03.22 |
| | 178. अ0सू0- 38 | श्री सरयू राय | पदाधिकारियों पर कार्रवाई | वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन | 10.03.22 |
| | 179. अ0सू0- 42 | श्री चन्द्रेश्वर प्रसाद सिंह | पठन-पाठन का कार्य लेना | स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता | 14.03.22 |
| | 180. अ0सू0-09 | डॉ0 सरफराज अहमद | रोजगार सृजित करना | उद्योग | 23.02.22 |
| | 181. अ0सू0-32 | श्री प्रदीप यादव | वैकल्पिक व्यवस्था देना | स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता | 08.03.22 |
| | 182. अ0सू0-25 | श्री नारायण दास | बाध्यता समाप्त करना | ,, | 01.03.22 |
| | 183. अ0सू0-21 | सुश्री अन्नपूर्णा प्रसाद | रिक्त पदों को भरना | ,, | 28.02.22 |
| | 184. अ0सू0-39 | श्री समरी लाल | विश्वविद्यालय सेवा का गठन | उच्च एवं तकनीकी शिक्षा | 12.03.22 |
| | 185. अ0सू0-43 | श्रीमती सविता महतो | पठन-पाठन शुरू करना | स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता | 16.03.22 |
| | 186. अ0सू0-34 | श्रीमती पूर्णिमा नीरज सिंह | राशि का अंकेक्षण | उच्च एवं तकनीकी शिक्षा | 08.03.22 |
| | 187. अ0सू0-27 | श्री भानु प्रताप शाही | अनुदान की राशि देना | ,, | 03.03.22 |
| | 188. अ0सू0-30 | श्री विनोद कु0 सिंह | पद सृजित करना | स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता | 07.03.22 |

| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
|---|---|---|---|---|---|
| 189. | अ0सू0–41 | श्रीमती अपर्णा सेन गुप्ता | फैक्ट्री का स्थानांतरण | वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन | 12.03.22 |
| 190. | अ0सू0–17 | श्री प्रदीप यादव | चिन्हित कर कार्रवाई करना | खान एवं भूतत्व | 27.02.22 |

नोटः– "क" 162–अ0सू0–15, दिनांक–15/03/22 को सदन से स्थगित।
"ख" 163–अ0सू0–19, दिनांक–15/03/22 को सदन से स्थगित।

राँची,
दिनांक–22 मार्च, 2022 (ई0)।

सैयद जावेद हैदर
प्रभारी सचिव
झारखण्ड विधान–सभा, राँची।

ज्ञाप संख्या–प्रश्न–03/2020–1393/वि0स0, राँची, दिनांक–21/03/22

प्रतिः–झारखण्ड विधान सभा के माननीय सदस्यगण/ माननीय मुख्यमंत्री/ माननीय मंत्रिगण/ माननीय संसदीय कार्य मंत्री/ मुख्य सचिव तथा माननीय राज्यपाल के प्रधान सचिव/ लोकायुक्त के आप्त सचिव एवं सरकार के सभी विभागों को सूचनार्थ प्रेषित।

21.3.22
(गुरूचरण सिंकू)
उप सचिव
झारखण्ड विधान–सभा, राँची।

ज्ञाप संख्या–प्रश्न–03/2020–1393/वि0स0, राँची, दिनांक–21/03/22

प्रतिः– माननीय अध्यक्ष महोदय के आप्त सचिव/ आप्त सचिव, सचिवीय कार्यालय को क्रमशः माननीय अध्यक्ष महोदय एवं प्रभारी सचिव के सूचनार्थ प्रेषित।

21.3.22
उप सचिव
झारखण्ड विधान–सभा, राँची।

ज्ञाप संख्या–प्रश्न–03/2020–1393/वि0स0, राँची, दिनांक–21/03/22

प्रतिः– कार्यवाही शाखा वेबसाईट शाखा, I.V.S.T.V शाखा/ ऑनलाईन शाखा/ प्रश्न ध्यानाकर्षण समिति शाखा एवं आश्वासन शाखा, झारखण्ड विधान–सभा को सूचनार्थ प्रेषित।

21.3.22
उप सचिव
झारखण्ड विधान–सभा, राँची।

21.03.22

## आवासीय विद्यालय की स्थापना ।

उत्तर मुद्रित

*162. श्री निरल पुरती--क्या मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि सरकार ने नेतरहाट आवसीय विद्यालय के तर्ज पर राज्य में प्रमण्डलीय स्तर पर विद्यालय की स्थापना करने का निर्णय लिया गया है;

(2) यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार नेतरहाट आवासीय विद्यालय के तर्ज पर सभी प्रमण्डलों में विद्यालय की स्थापना करना चाहती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?

**प्रभारी मंत्री**-- (1) स्वीकारात्मक । वस्तुस्थिति यह है कि वर्तमान में नेतरहाट आवासीय विद्यालय, नेतरहाट की तर्ज पर कोल्हान प्रमण्डल, चाईबासा (प्रखण्ड-खूँटपानी, प० सिंहभूम) एवं संथाल परगना प्रमण्डल, दुमका (प्रखण्ड-मसलिया, दुमका) में आवासीय विद्यालयों की स्थापना की जा रही है । इस हेतु तकनीकी स्वीकृति प्राप्त कर ली गई है एवं प्रशासनिक स्वीकृति हेतु मामला विचाराधीन है ।

(2) इस खण्ड का उत्तर उपरोक्त खण्ड में सन्निहित है ।

---

राशि उपलब्ध कराना ।

उत्तर सूचित

क' 163. डॉ० नीरा यादव--क्या मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि मध्याह्न भोजन योजना भारत सरकार द्वारा संपोषित भोजन कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य राष्ट्रव्यापी है तथा स्कूली बच्चे-बच्चियों की पोषण स्थिति में सुधार करना एवं बच्चों की स्कूल की उपस्थिति में सुधार करना है;

(2) क्या यह बात सही है कि खण्ड-(1) में वर्णित योजना का संचालन ग्राम शिक्षा समिति और सरस्वती वाहिनी संचालन समिति के द्वारा संयुक्त रूप से की जाती है;

(3) क्या यह बात सही है कि खण्ड-(1) में वर्णित योजनान्तर्गत राज्य सरकार के आदेशोपरान्त सभी वैसे विद्यालय जहाँ यह योजना संचालित है, वहाँ से योजना की राशि सरकार के द्वारा वापस ले ली गयी है, जिससे मध्याह्न भोजन कार्यक्रम पर प्रतिकूल असर पड़ा है;

(4) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार खण्ड-(1) वर्णित योजना के उद्देश्य की पूर्ति हेतु पुनः योजना के सुव्यवस्थित संचालन हेतु राशि उपलब्ध का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?

**प्रभारी मंत्री**--(1) स्वीकारात्मक ।

(2) आंशिक स्वीकारात्मक । योजना का संचालन विद्यालय प्रबंधन समिति की उपसमिति सरस्वती वाहिनी संचालन समिति के द्वारा किया जाता है ।

(3) आंशिक स्वीकारात्मक । ज्ञातव्य है कि भारत सरकार के दिशा-निर्देश तथा वित्त विभाग, झारखण्ड सरकार के पत्रांक-1114 दिनांक 9 अप्रैल, 2021 एवं 1209 दिनांक 15 मई, 2021 के द्वारा योजना के लिए नई वित्तीय प्रवाह प्रणाली के अंतर्गत व्यय का प्रावधान किया गया है, जिसमें योजना के लिए राज्य में प्राधिकरण स्तर पर मात्र एक खाता (एकल नोडल खाता) संधारित होगा जबकि जिला, प्रखण्ड एवं विद्यालय स्तर पर बैंक में शून्य बचत खाता संधारित किया जाना है ।

---

नोट:- *162 दिनांक 15 मार्च, 2022 को सदन से स्थगित ।

राशि के व्यय के लिए प्राधिकरण द्वारा राशि निकासी की सीमा निर्धारित करते हुए जिला/प्रखण्ड को प्राधिकार निर्गत होगा जिसके आलोक में सीधे प्राधिकरण के एकल नोडल खाता से राशि निकासी की जाएगी । इस प्रकार प्राधिकरण के अतिरिक्त अन्य सभी क्रियान्वयन एजेंसी के बैंक खाता में राशि शून्य रहेगा ।

भारत सरकार से प्राप्त दिशा-निर्देश के आलोक में अधीनस्थ एजेंसी के बैंक खाते से राशि प्राधिकरण के खाते में वापस लिया गया है ।

वर्तमान में इसी व्यवस्था के अंतर्गत मध्याह्न भोजन योजना का अबाधित संचालन किया जा रहा है ।

(4) उत्तर कंडिका-3 में सन्निहित है ।

---

127

श्री सरयू राय, स०वि०स० द्वारा दिनांक–22.03.2022 को पूछा जानेवाला अल्प–सूचित प्रश्न संख्या–अ०सू०–40

क्या मंत्री, खान एवं भूतत्व विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–

| क्र० सं० | प्रश्न | उत्तर |
|---|---|---|
| 1 | क्या यह बात सही है कि राज्य के अन्तर्गत लघु खनिजों एवं पत्थर की खदानों के पूर्व से स्वीकृत करीब 50 प्रतिशत खनन पट्टों की विस्तारित अवधि 31.03.2022 को समाप्त हो रही है ; | झारखण्ड राज्य के अन्तर्गत लघु खनिजों एवं पत्थर के कुल 231 खनन पट्टों की विस्तारित अवधि 31.03.2022 को समाप्त हो रही है। |
| 2 | क्या यह बात सही है कि प्राकृतिक संसाधनो की बंदोबस्ती/नीलामी के माध्यम से करने के सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद सरकार ने 31.03.2020 को परिसमाप्त होने वाले लघु खनिजों एवं पत्थर खदानों के खनन पट्टों को दो वर्ष का अवधि विस्तार देने के लिए झारखण्ड लघु खनिज समानुदान नियमावली, 2004 में संशोधन किया; | माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायादेश एवं केन्द्र सरकार के दिशा–निर्देश के आलोक में झारखण्ड लघु खनिज समनुदान नियमावली, 2004 (यथा संशोधित, 2019) निरूपित किया गया है, जिसमें लघु खनिज के खनन पट्टों की बंदोबस्ती नीलामी के माध्यम से किये जाने का प्रावधान किया गया है।<br>राज्य सरकार द्वारा सम्यक विचारोपरान्त राज्य मंत्रिपरिषद की स्वीकृति के बाद उक्त नियमावली में संशोधन करते हुए 31.03.2020 को समाप्त हो रहे खनन पट्टों की अवधि को 31.03.2022 तक के लिए अवधि विस्तारित किया गया था।<br>सम्प्रति 31.03.2022 को समाप्त हो रहे खनन पट्टों की बंदोबस्ती नीलामी के माध्यम से किए जाने की कार्रवाई की जा रही है। उक्त में कुल 45 लघु खनिज खनन पट्टों की नीलामी हेतु निविदा प्रकाशित की जा चुकी है। शेष की भी नीलामी प्रक्रियाधीन है। |
| 3 | क्या यह बात सही है कि लघु खनिजों के खनन पट्टो की बंदोबस्ती नीलामी अथवा अवधि विस्तार के माध्यम से 31 मार्च 2022 के पूर्व नहीं होने से राज्य सरकार को करोड़ों रुपये के राजस्व की क्षति होगी ; | यथा उपरोक्त। |
| 4 | यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार लघु खनिज पट्टों की बंदोबस्ती 31 मार्च, 2022 के पूर्व नीलामी करके अथवा वर्ष 2020 की तरह अवधि विस्तार देकर करना चाहती है ? | सम्प्रति 31.03.2022 को समाप्त हो रहे खनन पट्टों में से कुल 45 लघु खनिज खनन पट्टों की नीलामी हेतु निविदा प्रकाशित की जा चुकी है। शेष की भी नीलामी प्रक्रियाधीन है। |

**झारखण्ड सरकार**

**खान एवं भूतत्व विभाग**

ज्ञापांक:–वि0स0(अ0सू0)–40/2022 637 /एम0, राँची, दिनांक:–21·03·2022

प्रतिलिपि:–उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप सं0 प्र0–1255 दिनांक–12.03.2022 के संदर्भ में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21/3/2022

सरकार के उप सचिव

178

श्री सरयु राय, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–22.03.2022 कोपूछे जाने वाले अल्पसूचित प्रश्न सं0–अ0सू0–38 का उत्तर।

| प्रश्न | उत्तर |
|---|---|
| 5.क्या यह बात सही है कि झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद ने एन0जी0टी0 के दिनांक 23.09.2020 के आदेशानुसार राज्यभर के पत्थर खदानों / क्रशरों का सीटीओ रद्द कर दिया है | अस्वीकारात्मक ।<br><br>साहेबगंज जिला में अवस्थित खदानों/क्रशरों से हो रहे प्रदूषण की जाँच हेतु माननीय एन0जी0टी0 द्वारा O.A. NO. 23/2017 EZ (Syed Arshad Nasar Vs Union of India)में एक समिति का गठन किया गया। उक्त समिति द्वारा माननीय एन0जी0टी0 में समर्पित रिर्पोट के आलोक में माननीय एन0जी0टी0 द्वारा दिनांक 23.09. 2020 को आदेश पारित किया गया है, जिसके आलोक में कार्रवाई की जा रही है। |
| 6.क्या यह बात सही है कि बोर्ड ने11.08.2021 को साहेबगंज जिला के 70 खदानों /क्रशरों का सीटीओ पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तो का उल्लंघन के आधार पर रद्द कर दिया है | स्वीकारात्मक ।<br><br>साहेबगंज जिला के खदानों/क्रशरों द्वारा सी०टी०ओ० की शर्तों का अनुपालन नहीं करने के कारण, कारण पृच्छा सुनवाई में उपस्थित नही होने, जबाब समर्पित नहीं करने के फलस्वरूप साहेबगंज जिला के अन्तर्गत पर्षद् द्वारा दिनांक 10.08.2021 एवं 11.08.2021 को कुल 69 खदानों/क्रशरों का सी०टी०ओ० रद्द किया गया। |
| 7.क्या यह बात सही है कि बोर्ड ने कुछ ही दिनों के बाद इन पत्थर खदानों की पर्यावरणीय स्वीकृति बहाल कर दिया, जबकि इनके द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तो का उल्लंघन पूर्ववत है, ऐसी ही स्थिति राज्य की अन्य खदानों और क्रशरों की भी है | आंशिक रूप से स्वीकारात्मक ।<br><br>23 इकाइयों द्वारा समर्पित अनुपालन प्रतिवेदनों की क्षेत्रीय कार्यालय से जाँच कराई गई। जाँचोपरान्त सत्यापन प्रतिवेदन के आधार पर मात्र 23 इकाइयों के सी०टी०ओ० रद्द करने संबंधित आदेश को वापस लिया गया है। |
| 8.यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार बोर्ड द्वारा ऐसा आदेश जारी कर थोक में सी०टी०ओ० रद्द करने और पुनः बहाल करने के जिम्मेदार पदाधिकारियों पर कार्रवाई करने का विचार रखती है , हाँ तो कबतक, नहीं तो क्यों ? | माननीय NGT द्वारा दिनांक–23.09.2020 को O.A. no 23/2017(EZ) में पारित आदेश के कण्डिका 11 में प्रदूषण नियंत्रण पर्षद को यह आदेश दिया गया है कि वैसी प्रदूषणकारी गतिविधियाँ जो मानदण्ड का पालन नहीं कर रही है, उन्हें बन्द कर दिया जाए तथा उन्हें तभी अनुमति प्रदान की जाए जब वे मानदण्डों का पालन कर लें। इसी के आलोक में 23 इकाईयों द्वारा मानदण्डों का अनुपालन सुनिश्चित करने पर बन्दी आदेश को वापस लिया गया। |

झारखण्ड सरकार
वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

ज्ञापांक–5/वि0स0 अल्पसूचित प्रश्न–36/2022–878 रा0प0, दिनांक–21-03-2022

**प्रतिलिपि**–उप सचिव, झारखण्ड विधानसभा, राँची को उनके ज्ञाप सं0–1195, दिनांक–10.03.2022 के प्रसंग में अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ/उप सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी (संसदीय कार्य) विभाग, झारखण्ड, राँची/माननीय मुख्यमंत्री के आप्त सचिव, झारखण्ड सरकार/उप सचिव, मुख्य सचिव के कार्यालय, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21/03/22
(सुनील कुमार)
सरकार के अवर सचिव

D:\Vidhansabha-7 (Mukesh)

(179)

झारखण्ड सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग
(प्राथमिक शिक्षा निदेशालय)

561
21-3-2022

श्री चन्देश्वर प्रसाद सिंह, मा.स.वि.स. से प्राप्त अल्पसूचित प्रश्न संख्या अ0सू0–42

| क्रमांक | प्रश्न | उत्तर |
|---|---|---|
| | क्या मंत्री स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:– | श्री जगरनाथ महतो, माननीय मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड सरकार |
| 1 | क्या यह बात सही है कि कक्षा 1 से 5 तक की कक्षाएँ करोना काल में विगत दो वर्ष में संचालित नहीं की जा सकी है। | **स्वीकारात्मक।**<br>कोविड वैश्विक महामारी को दृष्टिगत रखते हुए ऑफलाईन कक्षाओं का संचालन दिनांक 17.03.2020 से लेकर 03.01.2022 तक बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए राज्य सरकार के निदेश के आलोक में संचालित नहीं की गई। |
| 2 | क्या यह बात सही है कि डिजिटल मोड में 29 प्रतिशत् छात्रों को आच्छादित कर ऑनलाईन शिक्षा दी जा सकी शेष 71 प्रतिशत् छात्र शिक्षा–दिक्षा से वंचित रहे। | **आंशिक रूप से स्वीकारात्मक।**<br>राज्य के सरकारी विद्यालयों में कक्षा 1 से 12 में अध्ययनरत 4615289 बच्चों में से कोविड वैश्विक महामारी के दौरान 16 लाख बच्चों को डिजी साथ झारखंड डिजिटल लर्निंग कार्यक्रम से जोड़ा जा सका। इसके अतिरिक्त 10 लाख बच्चों को दूरदर्शन के माध्यम से जोडने का प्रयास किया गया। |
| 3. | क्या यह बात सही है कि 2 वर्ष बाद जब दिनांक 07.03.2022 से विद्यालय खुले हैं तो सभी शिक्षकों को बाल पंजी तैयार करने तथा डहर ऐप में लोड करने के लिए पढ़ाई छोड कर सर्वेक्षण के लिए भेजा जा रहा है। | **आंशिक रूप से स्वीकारात्मक।**<br>समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत शिक्षा अधिकार अधिनियम, 2009 के तहत् विद्यालय से बाहर रह गये बच्चों के लिए विशेष प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाती है। इसके लिए प्रत्येक वर्ष प्रारंभिक विद्यालय के शिक्षकों के माध्यम से बाल पंजी अद्यतन करते हुए विद्यालय से बाहर रह गये बच्चों को चिन्हित किया जाता है, ताकि उन्हें विद्यालय से जोड़ने के लिए भारत सरकार को प्रेषित बजट प्रस्ताव में ऐसे बच्चों की विवरणी प्रस्तुत की जा सके, जिसके आधार पर इन बच्चों के लिए विशेष प्रशिक्षण हेतु आवश्यक बजट स्वीकृत कराया जा सके।<br>इस वित्तीय वर्ष में शिशु पंजी अद्यतन कार्य डहर ऐप के माध्यम से दिनांक 07.01.2022 से 25.01.2022 के बीच करने का निदेश सभी जिलों को दिया गया था। उक्त अवधि में कोविड वैश्विक महामारी के कारण कक्षा 1 से 8 वाले सभी विद्यालय बंद थे। सिर्फ शिक्षकों को विद्यालय जाने हेतु निदेश निर्गत किया गया था।<br>कतिपय विद्यालय को छोड़कर अधिकांश विद्यालयों द्वारा शिशु पंजी अद्यतीकरण कार्य उक्त अवधि में पूर्ण कर लिया गया था। जिन विद्यालयों द्वारा शिशु पंजी अद्यतीकरण का कार्य पूर्ण नहीं किया गया था वैसे विद्यालयों के शिक्षकों को विद्यालय अवधि के बाद शिशु पंजी अद्यतन करने का निदेश ऑनलाईन समीक्षा बैठक के दौरान दिया गया था। |

| | | |
|---|---|---|
| 4 | यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार ऐसे आदेश निर्गत करने वाले पदाधिकारी पर कार्रवाई करते हुए छात्र हित में शिक्षकों से सिर्फ पठन–पाठन का कार्य लेने का विचार रखती है, तो कब तक, नहीं, तो क्यों ? | इस कडिका का उत्तर उपर्युक्त कडिका में सन्निहित है। |

अवर सचिव 21/3/22

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक–14 / व02–49 / 2022  561  राँची, दिनांक 21/03/2022

प्रतिलिपि:– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक–1093, दिनांक 08.03.2022 के प्रसंग में वांछित प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

अवर सचिव 21/3/22

सरकार के अवर सचिव

180

डॉ० सरफराज अहमद, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक–22.03.2022 को पूछा जानेवाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या–अ०सू०–09

क्या मंत्री,
उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :– मंत्री–

| क्र० | प्रश्न | उत्तर |
|---|---|---|
| 1. | क्या यह बात सही है, कि झारखण्ड स्थित बिहार स्टेट सुपर फास्फेट फैक्टरी, सिंदरी/धनबाद, हाई टेंशन इन्सुलेटर फैक्टरी, नामकुम, राँची इलेक्ट्रीक इक्विपमेंट फैक्टरी, टाटीसिल्वे, राँची, मैथबेल कास्ट आयरन फैक्टरी तथा स्वर्णरेखा वॉच फैक्टरी की परिसम्पतियाँ दिनांक–01 अप्रैल, 2018 से झारखण्ड के अधीन आ गयी है, परन्तु सरकार द्वारा उक्त इकाईयों का अधिग्रहण नहीं किया गया है; | अस्वीकारात्मक।<br>वर्णित सभी इकाईयों बिहार राज्य औद्योगिक विकास निगम (BSIDC) की परिसम्पतियाँ है, जिसके आस्तियों एवं दायित्वों का बंटवारा उत्तरवर्ती बिहार एवं झारखण्ड सरकार के बीच लंबित है। वर्तमान में यह मामला माननीय उच्च न्यायालय, झारखण्ड, राँची एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली में विचाराधीन है। |
| 2. | क्या यह बात सही है, कि वर्णित इकाईयों का नामकुम, राँची में 112.26 एकड़ तथा सिंदरी, धनबाद में 79.30 एकड़ एवं टाटीसिल्वे, राँची में 99.44 एकड़ भूमि एवं परिसम्पतियाँ है; | स्वीकारात्मक। |
| 3. | यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार खण्ड–1 में वर्णित परिसम्पतियों का शीघ्र अधिग्रहण कर नए उद्योग लगाकर रोजगार सृजन कराने का विचार रखती है, हाँ तो कबतक, नहीं तो क्यों? | वर्तमान में यह मामला माननीय उच्च न्यायालय, झारखण्ड, राँची एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली में विचाराधीन है। |

झारखण्ड सरकार
उद्योग विभाग

ज्ञापांक–01/विधानसभा–03–11/2022 347 /राँची, दिनांक– 20/03/2022

प्रतिलिपि:– उप सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप संख्या–179 दिनांक–23.02.2022 के प्रसंग में सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(नीरज कुमार सिंह)
सरकार के अवर सचिव

(18)

556
21.03.22

**श्री प्रदीप यादव, स.वि.स. के अल्पसूचित प्रश्न संख्या–अ.सू.–32 की उत्तर सामग्री**

| क्र. | प्रश्न | उत्तर सामग्री |
|---|---|---|
| 1. | क्या यह बात सही है कि वर्ष "समग्र शिक्षा अभियान" के तहत भारत सरकार ने स्कूलों को दी जाने वाली राशि एवं खर्च की प्रक्रिया में बदलाव करते हुए पहले खर्च तब भुगतान का निर्णय लिया है। | भारत सरकार के द्वारा समग्र शिक्षा अभियान अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2021–22 से नई वित्तीय प्रवाह प्रणाली प्रारंभ की गई है। इसके अंतर्गत राज्य स्तर पर Single Nodal Account (SNA) संधारित होगा जबकि जिला प्रखण्ड एवं विद्यालय स्तर पर बैंक में जीरो बैलेंस बैंक एकाउन्ट संधारित किया जाना है। मुख्यालय द्वारा क्रियान्वयन एजेंसी को राशि निकासी हेतु प्राधिकार निर्गत किया जाता है जिसके अन्तर्गत राशि की निकासी प्राधिकरण के SNA के बैंक एकाउन्ट से क्रियान्वयन एजेंसी द्वारा की जाती है। |
| 2. | क्या यह बात सही है कि इन कारणों से विद्यालय प्रबंधन समिति द्वारा संचालित मिड डे मिल एवं अन्य काम प्रभावित हो रहे है। | **अस्वीकारात्मक**<br>मध्याह्न भोजन योजना के लिए भी भारत सरकार के द्वारा उपर्युक्त अंकित नई वित्तीय प्रवाह प्रणाली के माध्यम से कार्यक्रम का संचालन किया जा रहा है।<br>वर्तमान में इसी व्यवस्था के अन्तर्गत मध्याह्न भोजन योजना 17 जिला में 04.02.2022 से एवं दिनांक 07.03.2022 से सभी 24 जिला में संचालित है। |
| 3. | यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार भारत सरकार से इस निर्णय पर पुनर्विचार करने या राज्य स्तर पर वैकल्पिक व्यवस्था करने का विचार करना चाहती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों? | उत्तर कंडिका–2 में सन्निहित है। |

21/3/22

सरकार के अवर सचिव

झारखण्ड सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

ज्ञापांक–14/व02–49/2022 –556 दिनांक :– 21/03/2022

**प्रतिलिपि** :– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञाप सं0 प्र0 1093 वि0स0 दिनांक 08.03.2022 के आलोक में सूचनार्थ प्रेषित।

21/3/22

सरकार के अवर सचिव

(182)

730
21/03/2022

**श्री नारायण दास, मा०स०वि०स० से प्राप्त अल्पसूचित प्रश्न संख्या–अ०सू०–25**

क्या माननीय मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–

| क्र. | प्रश्न | उत्तर |
|---|---|---|
| 1. | क्या यह बात सही है कि राज्य अन्तर्गत हाई स्कूल शिक्षक नियुक्ति नियमावली में किये गये संशोधन के अनुरूप शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल होने के लिए अभ्यर्थी को झारखण्ड से मैट्रिक व इण्टर की परीक्षा पास होना अनिवार्य है, जबकि आरक्षित वर्ग के लिए मैट्रिक और इण्टर की अनिवार्यता नहीं है; | स्वीकारात्मक। |
| 2. | क्या यह बात सही है कि राज्य के मूलवासी, जिनके माता–पिता अन्यत्र कार्यरत और उनके बच्चे–बच्चियाँ राज्य से बाहर पठन–पाठन करते हैं तथा अन्य राज्यों में महिला अभ्यर्थियों का विवाह राज्य के मूलवासियों से हुई है, उनके लिए भी हाई स्कूल शिक्षक नियुक्ति में मैट्रिक व इण्टरमीडिएट झारखण्ड से पास की अनिवार्यता रखी गयी है; | झारखण्ड सरकारी माध्यमिक विद्यालय शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारी नियुक्ति एवं सेवा शर्त (संशोधन) नियमावली, 2022 (विभागीय अधिसूचना ज्ञापांक 355 दिनांक 22.02.2022) की कंडिका–2 (ग), नियम–9(i)(i)(ग) में निम्नांकित प्रावधान हैं :–<br>(ग) "उक्त अनिवार्य शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यता के अतिरिक्त अभ्यर्थियों को मैट्रिक/10वीं कक्षा एवं इंटरमीडिएट/10+2 कक्षा झारखण्ड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा तथा अभ्यर्थी को स्थानीय रीति–रिवाज, भाषा एवं परिवेश का ज्ञान होना अनिवार्य होगा।<br>परन्तु यह कि झारखण्ड राज्य की आरक्षण नीति से आच्छादित अभ्यर्थियों के मामले में झारखण्ड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से मैट्रिक/10वीं कक्षा तथा इंटरमीडिएट/10+2 कक्षा उत्तीर्ण होने संबंधी प्रावधान शिथिल रहेगा।" |
| 3. | यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार हाई स्कूल शिक्षक नियुक्ति नियमावली में संशोधन करते हुए खण्ड (2) में वर्णित अभ्यर्थियों को मैट्रिक व इण्टरमीडिएट की बाध्यता को समाप्त करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों? | इस संबंध में सरकार/विभाग के समक्ष कोई भी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। |

21.03.22
सरकार के अवर सचिव।

**झारखण्ड सरकार**
**स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग**

ज्ञापांक–10/वि.स.02–237/2022 730 राँची, दिनांक 21/03/2022

**प्रतिलिपि:–** उप सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21.03.22
सरकार के अवर सचिव।

(183)

745
21/03/2022

**सुश्री अम्बा प्रसाद, मा0स0वि0स0 से प्राप्त अल्पसूचित प्रश्न संख्या–अ0सू0–21**

क्या माननीय मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–

| क्र. | प्रश्न | उत्तर |
|---|---|---|
| 1. | क्या यह बात सही है कि हजारीबाग जिले में नगरपालिका, सदर एवं कटकमसांडी प्रखण्ड मिलाकर प्राथमिक, मध्य एवं उच्च विद्यालय के 24 अल्पसंख्यक विद्यालय है, | स्वीकारात्मक। |
| 2. | क्या यह बात सही है कि हजारीबाग जिले के अल्पसंख्यक विद्यालयों में शिक्षक और शिक्षकेत्तर कर्मी के 95 पद रिक्त पड़े हैं, | हजारीबाग जिलान्तर्गत प्रारंभिक एवं उच्च विद्यालयों में शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों का स्वीकृत/कार्यरत एवं रिक्त पदों का विवरण निम्नवत् है :– |
| 3. | क्या यह बात सही है कि सरकार सरकारी विद्यालयों के तर्ज पर अल्पसंख्यक स्कूलों के शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों को प्रतिमाह वेतनमान् देने के लिए प्रयासरत है ; | अस्वीकारात्मक।<br>अल्पसंख्यक विद्यालय के शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मी राज्य सरकार के कर्मचारी नहीं हैं। इनकी नियुक्ति संबंधित विद्यालय प्रबंध समिति के द्वारा की जाती है। प्रबंध समिति से पूर्व वर्ष का प्राप्त उपयोगिता प्रमाण पत्र के आलोक में उन्हें राज्य सरकार द्वारा ससमय वेतन अनुदान दिया जाता है। |
| 4. | यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार हजारीबाग सहित राज्य के अल्पसंख्यक विद्यालयों में खाली पड़े शिक्षक और शिक्षकेत्तर कर्मियों के रिक्त पदों को भरते हुए प्रतिमाह वेतनमान् सुनिश्चित कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों? | शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों के रिक्त पदों को विद्यालय प्रबंध समिति के स्तर से भरे जाने पर कोई भी रोक नहीं है।<br>सम्प्रति अल्पसंख्यक विद्यालयों के शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों के सेवा शर्त/नियुक्ति नियमावली के गठन की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है, जो अधिसूचना की तिथि से नियमानुसार प्रभावी होगी।<br>संबंधित जिला द्वारा विद्यालय की प्रबंध समिति के खाते में वेतनादि भुगतान की राशि निर्गत की जाती है, जिस हेतु राज्य सरकार द्वारा ससमय वेतन अनुदान निर्गत किया जाता है। |

| कोटि | विद्यालय की संख्या | शिक्षक | | | शिक्षकेत्तर कर्मी | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | स्वीकृत पद | कार्यरत पद | रिक्ति | स्वीकृत पद | कार्यरत पद | रिक्ति |
| प्राथमिक/ मध्य | 17 | 98 | 46 | 52 | 0 | 0 | 0 |
| उच्च विद्यालय | 7 | 81 | 56 | 25 | 24 | 17 | 7 |

21.3.22

सरकार के अवर सचिव।

**झारखण्ड सरकार**

**स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग**

ज्ञापांक–10/वि.स.02–218/2022 745 राँची, दिनांक 21/03/2022

प्रतिलिपि:– उप सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21.3.22

सरकार के अवर सचिव।

**श्री समरी लाल, मा0स0वि0स0 द्वारा दिनांक-22.03.2022 को पूछा जानेवाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या-39 से संबंधित उत्तर:-**

| क्र0 | प्रश्न | उत्तर |
|---|---|---|
| 1. | क्या यह बात सही है कि राज्य निर्माण के बाद से आज तक विश्वविद्यालय सेवा आयोग का गठन नहीं किये जाने से यू॰जी॰सी॰ के मापदण्ड के अनुरुप उच्च शिक्षण संस्थानों में सहायक प्रोफेसर, प्रोफेसर, प्राचार्य की नियुक्ति एवं प्रोन्नति नहीं होने से इसका खामियाजा झारखण्ड के छात्रों को भुगतना पड़ रहा है ; | आंशिक स्वीकारात्मक। झारखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा यू॰जी॰सी॰ के मापदण्ड के अनुरूप उच्च शिक्षण संस्थानों में सहायक प्राध्यापक, प्राध्यापक, उपाचार्य एवं प्राचार्य के पद पर नियुक्ति एवं प्रोन्नति प्रदान की जाती है। नियमित नियुक्ति हेतु परिनियम, 2017 के आलोक में बैकलॉग पद पर नियुक्ति की जा रही है। दिनांक-01.01.2009 से दिनांक-05.08.2021 तक के अवधि के लिए शिक्षकों को प्रोन्नति प्रदान करने हेतु यू॰जी॰सी॰ रेगुलेशन, 2010 में संशोधन की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। दिनांक-06.08.2021 की तिथि से शिक्षकों को नियुक्ति एवं प्रोन्नति प्रदान करने से संबंधित यू॰जी॰सी॰ रेगुलेशन, 2018 दिनांक-963 (अनु॰) दिनांक-06.08.2021 की तिथि से संसूचित है। |
| 2. | क्या यह बात सही है कि राज्य के महाविद्यालयों में रिक्त पड़े हुए पदों पर गेस्ट फेकल्टी, घंटी आधारित संविदा पर रख कर जैसे-तैसे शिक्षण कार्य की खानापूर्ति की जा रही है ; | अस्वीकारात्मक। उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के संकल्प संख्या-516, दिनांक 02.03.2017 के आलोक में स्नातकोत्तर विभागों एवं अंगीभूत महाविद्यालय में शिक्षण कार्य सुचारु रूप से संचालन हेतु विभिन्न विषयों में स्वीकृत पदों के विरुद्ध रिक्त पदों पर घंटी आधारित शिक्षकों की नियुक्ति की गयी है। |
| 3. | यदि उपर्युक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार छात्रों के हित में विश्वविद्यालय सेवा आयोग का गठन करना चाहती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ? | उपर्युक्त कंडिका में उत्तर सन्निहित है। विश्वविद्यालय सेवा आयोग के गठन का प्रस्ताव वर्तमान में नहीं है। |

**झारखंड सरकार**
**उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग**
**(उच्च शिक्षा निदेशालय)**

ज्ञापांक- 01/वि॰स॰-35/2022 355/ राँची, दिनांक- 16/03/2022

प्रतिलिपि:- उप सचिव, झारखंड विधान सभा को उनके पत्रांक-1254, दिनांक-12.03.2022 के प्रसंग में 200 प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16/03/22
(सुरेश चौधरी)
सरकार के अवर सचिव।

185

747
21/03/2022

**श्रीमती सबिता महतो, मा0स0वि0स0 से प्राप्त अल्पसूचित प्रश्न संख्या–अ0सू0–43**

क्या माननीय मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–

| क्र. | प्रश्न | उत्तर |
|---|---|---|
| 1. | क्या यह बात सही है कि सरायकेला खरसांवा जिला के कुकडू प्रखण्ड अन्तर्गत चौड़ा गाँव में राजकीयकृत उच्च विद्यालय है, जो लगभग 5 वर्षों से बंद पड़ा है; | अस्वीकारात्मक।<br>जिला शिक्षा पदाधिकारी, सरायकेला–खरसांवा के पत्रांक 260 दिनांक 21.03.2021 द्वारा प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार जिला सरायकेला–खरसांवा के कुकडू प्रखण्ड के अन्तर्गत चौड़ा गाँव में राजकीयकृत उच्च विद्यालय संचालित नहीं है। |
| 2. | क्या यह बात सही है कि खण्ड–01 में वर्णित राजकीयकृत उच्च विद्यालय के अकारण बंद किये जाने से सैकड़ों बालिकायें कक्षा आठ के बाद अपनी पढ़ाई छोड़ने को मजबूर हैं; | अस्वीकारात्मक।<br>वस्तुस्थिति यह है कि कुकडू प्रखण्ड अन्तर्गत निम्नांकित उच्च विद्यालय संचालित हैं :– |

| क्र. | विद्यालय का नाम | स्वीकृत ईकाई | कार्यरत ईकाई | नामांकित विद्यार्थियों की सं0 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | राजकीयकृत +2 उ0वि0, तिरुलडीह | TGT-10<br>PGT-11 | 4<br>1 | बालक– 256<br>बालिका– 315 |
| 2 | राजकीयकृत +2 उ0वि0, सिरुम | TGT-10<br>PGT-11 | 3<br>4 | बालक– 327<br>बालिका– 337 |
| 3 | उत्क्रमित उ0वि0 ईचाडीह | TGT-10<br>PGT-11 | 3 | बालक– 276<br>बालिका– 251 |

पंचायत–चौड़ा की आबादी लगभग 5000 है। निकटतम विद्यालय राजकीयकृत +2 उच्च विद्यालय, तिरुलडीह है, जो चौड़ा गाँव से 05 कि0मी0 की दूरी पर अवस्थित है।

| | | |
|---|---|---|
| 3. | यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार खण्ड–01 में वर्णित कुकडू प्रखण्ड के चौड़ा गाँव में बंद पड़े उक्त राजकीयकृत उच्च विद्यालय को छात्रों के हित में पुनः पठन–पाठन शुरू करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों? | उत्तर कंडिका–1 एवं 2 में सन्निहित है। |

21.3.22

सरकार के अवर सचिव।

**झारखण्ड सरकार**
**स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग**

ज्ञापांक–10 / वि.स.02–250 / 2022 747 राँची, दिनांक 21/03/2022

प्रतिलिपि:– उप सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21.3.22

सरकार के अवर सचिव।

(186)

**श्रीमती पूर्णिमा नीरज सिंह, मा0स0वि0स0 द्वारा दिनांक-22.03.2022 को पूछा जानेवाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या-34 से संबंधित उत्तरः-**

| क्र0 | प्रश्न | उत्तर |
|---|---|---|
| 1. | क्या यह बात सही है कि राज्य में संचालित विश्वविद्यालयों में नामांकन हेतु शुल्क संरचना का निर्धारण स्वपोषित योजना के तहत् किया जाता है, जबकि 85% छात्र/छात्राओं के खर्च का वहन सरकार द्वारा छात्रवृति के रूप में किया जाता है ; | आंशिक स्वीकारात्मक।<br>विश्वविद्यालय में नामांकन हेतु शुल्क संरचना निर्धारित है। स्वपोषित योजना कार्यक्रम अन्तर्गत शुल्क निर्धारण विश्वविद्यालय स्वपोषित समिति द्वारा किया जाता है। छात्र-छात्राओं को छात्रवृति का भुगतान जिला कल्याण विभाग द्वारा सीधे छात्र-छात्राओं के खाते में डी०बी०टी० के माध्यम से दिया जाता है। |
| 2. | क्या यह बात सही है कि अंगीभूत महाविद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों की सेवा शर्त नियमावली नहीं बनने के कारण इन्हें UGC एवं NCTE के मानकों के अनुरूप भुगतान नहीं किया जा रहा है ; | अस्वीकारात्मक।<br>अंगीभूत महाविद्यालयों में नियमित रूप से नियुक्त एवं कार्यरत शिक्षकों की सेवा शर्त झारखण्ड राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 2000 (अद्यतन संशोधित) तथा परिनियम में विहित प्रावधानों के आधार पर संचालित होता है। इन शिक्षकों को UGC के अनुरूप राज्य सरकार द्वारा निर्गत संकल्प के आधार पर वेतनादि का भुगतान किया जाता है।<br>बी०एड० एवं अन्य व्यवसायिक कोर्स में शिक्षकों की नियुक्ति NCTE के मानकों के अनुरूप संविदा के आधार पर की जाती है तथा उनके मानदेय का भुगतान विश्वविद्यालय के आंतरिक स्रोत से किया जाता है। |
| 3. | क्या यह बात सही है कि विश्वविद्यालयों के अंगीभूत महाविद्यालयों के बी०एड० विभाग में तीन करोड़ से अधिक की धनराशि जमा है तथा इसका अंकेक्षण (Audit) नहीं किया गया है ; | आंशिक स्वीकारात्मक।<br>बी०एड० संबंधी खाती का अंकेक्षण प्रक्रियाधीन है। |
| 4. | यदि उपर्युक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार 80% छात्र/छात्राओंएं को छात्रवृति के रूप में दी जाने वाली राशि संबंधित महाविद्यालय को देते हुए शिक्षकों को UGC/NCTE के मानक के अनुरूप वेतन तथा बी०एड० प्रभाग में जमा धनराशि का अंकेक्षण कराने का विचारा रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ? | उक्त कंडिकाओं में सन्निहित है। |

**झारखंड सरकार**
**उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग**
**(उच्च शिक्षा निदेशालय)**

ज्ञापांक- 01/वि०स०-31/2022 357 / रांची, दिनांक- 16/03/2022

प्रतिलिपि:- उप सचिव, झारखंड विधान सभा को उनके पत्रांक-1094, दिनांक-08.03.2022 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16/03/22
(सुरेश चौधरी)
सरकार के अवर सचिव।

(187)

श्री भानु प्रताप शाही, मा0स0वि0स0 द्वारा दिनांक-22.03.2022 को पूछा जानेवाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या-27 से संबंधित उत्तरः-

| क्र0 | प्रश्न | उत्तर |
|---|---|---|
| 1. | क्या यह बात सही है कि झारखण्ड राज्य मे सरकारी शिक्षण-प्रशिक्षण महाविद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पदों पर राज्य बनने के बाद से कोई नियुक्ति नहीं की गयी है, जिससे 90 प्रतिशत पद रिक्त पड़े हैं ; | आंशिक स्वीकारात्मक।<br>स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के संकल्प संख्या-4552 दिनांक-05.12.2018 के द्वारा राज्य के 04 शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय यथा-(i) राजकीय शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, काँके, राँची, (ii) राजकीय महिला शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, बरियातु, राँची, (iii) राजकिय शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, हजारीबाग एवं (iv) राजकिय शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, देवघर को आस्तियाँ एवं दायित्व (Assets and Liabilities) सहित उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग को स्थानान्तरित किया गया है। तदोपरांत उपरोक्त महाविद्यालयों को संबंधित विश्वविद्यालयों को स्थानान्तरित करने हेतु संलेख पर वित विभाग की पृच्छा के निराकरण की कार्रवाई की जा रही है। संबंधित विश्वविद्यालयों को 04 राजकीय शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालयों के स्थानान्तरण के उपरांत स्टैच्यूट में वर्णित प्रावधान के तहत् शिक्षकों की नियुक्ति की कार्रवाई की जायेगी।<br>राजकिय महिला शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, बरियातु, राँची में 01 व्याख्याता की नियुक्ति अनुकम्पा के आधार पर की गयी है। वर्तमान में उक्त महाविद्यालयों में स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग से प्रतिनियुक्त शिक्षकों द्वारा शिक्षण कार्य किया जा रहा है। |
| 2. | क्या यह बात सही है कि इन महाविद्यालयों के सुचारू रूप से परिचालन के लिए सरकार द्वारा विहित अनुदान की राशि नहीं दी जा रही है ; | अस्वीकारात्मक।<br>वस्तुस्थिति यह है कि सरकारी शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालयों के वैसे कर्मी जो प्रतिनियुक्त हैं, उनके वेतनादि का भुगतान संबंधित विभाग द्वारा किया जाता है एवं अन्य शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मियों हेतु वेतनादि का आवंटन संबंधित महाविद्यालयों के प्राचार्य-सह-DDO को इस विभाग द्वारा उपलब्ध कराया जाता है। |
| 3. | क्या यह बात सही है कि राज्य के सरकारी प्रशिक्षण महाविद्यालयों में नियुक्ति नहीं करने और अनुदान नहीं देने के कारण प्राईवेट प्रशिक्षण महाविद्यालय को फायदा हो रहा है तथा राज्य के छात्र गुणवतापूर्ण शिक्षा से वंचित हो रहे हैं ; | कंडिका-1 में सन्निहित है। |
| 4. | यदि उपर्युक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार इन सरकारी प्रशिक्षण महाविद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति करने एवं अनुदान की राशि देने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ? | इन 04 सरकारी प्रशिक्षण महाविद्यालयों को संबंधित विश्वविद्यालय को स्थानान्तरण की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। हस्तांतरण के उपरांत नियुक्ति से संबंधित कार्रवाई किया जा सकेगा। |

झारखंड सरकार

उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग

(उच्च शिक्षा निदेशालय)

ज्ञापांक- 01/वि०स०-25/2022 358 / रांची, दिनांक- 16/03/2022

प्रतिलिपि:- अवर सचिव, झारखंड विधान सभा को उनके पत्रांक-889, दिनांक-03.03.2022 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16/3/22

(सुरेश चौधरी)

सरकार के अवर सचिव।

188

746
21/03/2022

श्री विनोद कुमार सिंह, मा०स०वि०स० से प्राप्त अल्पसूचित प्रश्न संख्या–अ०सू०–30
क्या माननीय मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–

| क्र. | प्रश्न | उत्तर |
|---|---|---|
| 1. | क्या यह बात सही है कि राज्य में पूर्व से चल रहे 510 प्लस 2 विद्यालय एवं 125 नव उत्क्रमित प्लस 2 विद्यालय (635) कार्यरत हैं; | आंशिक स्वीकारात्मक।<br>वस्तुस्थिति यह है कि वर्तमान में 510 +2 उच्च विद्यालय संचालित एवं कार्यरत हैं। विभागीय संकल्प ज्ञापांक 98 दिनांक 12.01.2022 द्वारा राज्य के 125 सरकारी माध्यमिक विद्यालयों को +2 उच्च विद्यालयों के रूप में उत्क्रमित किया गया है, जो आगामी सत्र (2022–24) से क्रियान्वित होगा। |
| 2. | क्या यह बात सही है कि अधिसूचना संख्या–97/2004–2425 के तहत् +2 विद्यालय की नियमावली में प्राचार्य और उप प्राचार्य का प्रावधान रखने के बावजूद अबतक पद सृजन नहीं हुआ है; | राज्य के 59, +2 उच्च विद्यालयों में प्राचार्य का पद संयुक्त बिहार के समय से सृजित है। शेष +2 उच्च विद्यालयों में प्राचार्य के पद सृजन हेतु कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।<br>संप्रति अधिसूचना सं. 97/2004–2425 में संशोधन की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। |

| अवधि | पत्रांक/दिनांक | +2 उच्च विद्यालयों की सं. | प्राचार्य पद की सं. | उप प्राचार्य पद की सं. |
|---|---|---|---|---|
| बिहार अवधि | राज्यादेश सं. 70/ 30.03.1992 और 82/31.03.1992 | 59 | 59 | 0 |
| दिनांक 15.11.2000 के उपरांत | संकल्प सं. 1736/06.06.2006 | 171 | 0 | 0 |
| | संकल्प सं. 912/06.06.2017 | 280 | 0 | 0 |
| | संकल्प सं. 98/12.01.2022 | 125 | 0 | 0 |
| | कुल योग | 635 | 59 | 0 |

| | | |
|---|---|---|
| 3. | क्या यह बात सही है कि अब तक +2 विद्यालयों में राजनीति शास्त्र, मनोविज्ञान, तर्कशास्त्र, कम्प्यूटर विज्ञान व क्षेत्रीय भाषा के विषय शिक्षकों का पद सृजन नहीं हुआ है; | स्वीकारात्मक।<br>विभागीय संकल्प संख्या–98 दिनांक–12.01.2022 के द्वारा नवउत्क्रमित 125 +2 उच्च विद्यालयों में पद सृजन हेतु कार्रवाई प्रक्रियाधीन है, जिसमें पूर्व के समान वर्णित विषयों के पद सृजन का प्रस्ताव विचाराधीन/सम्मिलित नहीं है। |
| 4. | यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार +2 विद्यालयों में प्राचार्य/उप प्राचार्य व उपरोक्त विषयों के शिक्षक का पद सृजन कर नियुक्ति का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों? | इस खण्ड का उत्तर उपरोक्त खण्डों में सन्निहित है। |

सरकार के अवर सचिव।

**झारखण्ड सरकार**
**स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग**

ज्ञापांक–10/वि.स.02–231/2022 746 राँची, दिनांक 21/03/2022

प्रतिलिपि:– उप सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव।

(189)

श्रीमती अपर्णा सेनगुप्ता, माननीया स०वि०स० द्वारा दिनांक–22.03.2022 कोपूछे जाने वाले अल्पसूचित प्रश्न सं0–अ0सू0–41 का उत्तर।

| प्रश्न | उत्तर |
|---|---|
| 1. क्या यह बात सही है कि धनबाद जिला के प्रखण्ड एगारकुण्ड के चिरकुण्डा नगर परिषद अंतर्गत नेहरू रोड, वार्ड नं0–10 में रॉयल इण्डस्ट्रीज (हार्ड कोक) फैक्ट्री घनी आबादी के बीचों–बीच स्थित हैं; | स्वीकारात्मक।<br>इकाई की स्थापना वर्ष 1978 में हुई थी। वर्तमान समय में इकाई के चारों ओर आबादी मे वृद्धि हुई है। |
| 2. क्या यह बात सही है कि घनी आबादी के बीच स्थित हार्ड कोक फैक्ट्री से निकलने वाले जहरीली धुँवा प्रदूषण से टी0बी0, दमा, हृदय रोग, फेफड़े की बीमारी, आँखों की बीमारी से घनी आबादी के लोग तथा बच्चें ग्रसित हो रहे हैं तथा कई लोग अपनी जान भी गवां चुके हैं; | इकाई में वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था के रूप में चिमनी में आई0एस0एम0 टेक्नोलोजी डबल टनल सिस्टम स्थापित है। कोल क्रसिंग सेक्शन में Dust Collectorस्थापित है। जल प्रदूषण नियंत्रण हेतु सेटलिंग टैंक स्थापित है जिसका पुनः उपयोग Coke quenchingमें किया जाता है।<br>स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के ज्ञापांक–44 (08) दिनांक–16.03.2022 द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार हाल के दिनों में किडनी, हार्ट अटैक तथा सांस संबंधी रोगों से प्रभावित होने की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। |
| 3. क्या यह बात सही है कि स्कूल, कॉलेज द्वारा लिखित शिकायत चिरकुण्डा नगर परिषद् से की गई है तथा बोर्ड की बैठक में उपर्युक्त हार्ड कोक फैक्ट्री को स्थानान्तरित करने की सहमति सदस्यों द्वारा की गई हैं; | वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग से संबंधित नहीं है।<br>इकाई का परिवेशीय वायु गुणवत्ता एवं चिमनी उत्सर्जन पारामीटर मानक के अधीन पाया गया है तथा इकाई स्थानान्तरित करने के संबंध में विभाग को प्रस्ताव प्राप्त नहीं है। |
| 4. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार लोगों के जीवन की रक्षा व जहरीली धुँवा प्रदूषण से मुक्त करने व घनी आबादी के बीच स्थित हार्ड कोक फैक्ट्री को अविलंब स्थानान्तरण कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों? | उपर्युक्त कंडिकाओं में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है। |

झारखण्ड सरकार
वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

ज्ञापांक–5/वि0स0 अल्पसूचित प्रश्न–37/2022– 880 व0प0, दिनांक– 21-03-2022

**प्रतिलिपि**–उप सचिव, झारखण्ड विधानसभा, राँची को उनके ज्ञाप सं0–1284, दिनांक–12.03.2022 के प्रसंग में अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ/उप सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी (संसदीय कार्य) विभाग, झारखण्ड, राँची/माननीय मुख्यमंत्री के आप्त सचिव, झारखण्ड सरकार/उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21/03/22

(सुनील कुमार)
सरकार के अवर सचिव

D:\Vidhansabha-5 (Mukesh)

190

श्री प्रदीप यादव, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–22.03.2022 को पूछा जाने वाला अल्प सूचित प्रश्न संख्या–अ0सू0–17

क्या मंत्री, खान एवं भूतत्व विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगें कि:–

| क्र0 सं0 | प्रश्न | उत्तर |
|---|---|---|
| 1 | क्या यह बात सही है कि सरकार ने झारखण्ड खनिज विकास निगम (JSMDC) को आवंटित "पताल कोल ब्लॉक" के बदले 52.68 करोड का बैंक गारंटी केन्द्र सरकार को दी थी; | स्वीकारात्मक। |
| 2 | क्या यह बात सही है कि झारखण्ड खनिज विकास निगम की अकर्मण्यता के कारण विगत 8 वर्षों में उक्त कोल ब्लॉक का खनन न होने के कारण केन्द्र ने मुफ्त में 52.68 करोड़ की गारंटी को भुना लिया; | माईन प्लान के अनुसार उक्त Mine का Life 25 वर्ष था। CMPDIL के द्वारा तैयार किए गए Pre-feasibility report के अनुसार 24 वर्षों तक Cash flow को नकारात्मक दर्शाया गया था। जिस कारण से निगम द्वारा उक्त ब्लॉक का Surrender करने का निर्णय लिया गया।<br>केन्द्र सरकार से बैंक गारंटी जप्ती संबंधी पत्र बैंक को प्राप्त हुई थी। उक्त के आलोक में निगम द्वारा माननीय न्यायालय, झारखण्ड द्वारा पारित आदेश के आलोक में Tribunal झारखण्ड में याचिका दाखिल की गई है। जो विचाराधीन है तथा सुनवाई की अगली तिथि 21.03.2022 को निर्धारित की गई है। केन्द्र सरकार द्वारा बैंक गारंटी नहीं भुनाया गया है एवं JSMDC के पास उपलब्ध है। |
| 3 | यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार इतनी बड़ी राशि का घाटा देनेवाले लोगों को चिन्हित कर उक्त लोगों से राशि की वसूली एवं दण्डात्मक कार्रवाई करना चाहती है, हाँ, तो कब तक, नहीं, तो क्यों ? | यथा उपरोक्त कंडिका–2 |

**झारखण्ड सरकार**

**खान एवं भूतत्व विभाग**

ज्ञापांक:–वि0स0(अ0सू0)–19 / 2022 611 /एम0, राँची, दिनांक:–16.03.2022

प्रतिलिपि:–उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप सं0 अ0–695 दिनांक–27.02.2022 के संदर्भ में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16/3/22

सरकार के उप सचिव